

Participants : [Rawat Shri Bachi Singh](#)

an>

Title : Need to formulate a policy for vendors by the Railways.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, यह विषय रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेल में सन् 1955 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा खान-पान सेवा प्रारंभ की गई थी और कमीशन वेंडर्स के रूप में एक नई व्यवस्था तय की गई, जिन्हें रेलवे द्वारा राशन, तेल, नमक, सब्जी आदि दी जाती थी। उनके द्वारा सामान्य यात्रियों को सस्ती दर पर पूरी और आलू की सब्जी उपलब्ध करवाई जाती थी। वह व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी, लेकिन रेलवे द्वारा उसमें कोई स्पष्ट नीति नहीं तय की गई और कमीशन वेंडर्स 65, 75 साल की उम्र के हो गए। रेलवे मंत्रालय द्वारा इस उम्र में कम्पलसरी रिटायरमेंट के नाम पर उनका राशन बंद कर दिया गया और उन्हें रिटायरमेंट दी जा रही है। कोई नीतिगत से वा शर्त तय नहीं होने के कारण इस उम्र में बिना किसी सेवा लाभ के उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी रिटायरमेंट हो गई जो कतई गलत है। यदि उन्हें इस उम्र में हटाया जाना जरूरी है, तो हटाने वाले वेंडर के एक आश्रित को तत्काल वेंडिंग की अनुमति दी जाए और इस समय जो मृतक वेंडर हो गए हैं, उनके एक आश्रित को भी वेंडिंग की अनुमति दी जाए। दूसरी ओर रेलवे कैटरिंग और कैंटीन का जो कार्पोरेशन बनाया गया है, उसकी रोज शिकायतें आ रही हैं कि जमीन पर पूरियां बेली जा रही हैं और उन्हें कोचेज़ में सर्व किया जा रहा है, अखबार इसे रिपोर्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

हमारी मांग है कि अगर रेलवे उन कमीशन वेंडर्स को रिटायरमेंट दे रहा है तो उन्हें उसके लाभ दिए जाने चाहिए, जैसे अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। अगर उन्हें रिटायर कर रहे हैं और लाभ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनके एक आश्रित को कमीशन वेंडिंग की अनुमति प्रदान की जाए और ऐसे ही मृतक आश्रित के लिए किया जाए।